ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00089

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टबर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : रीना, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 28/2020

1. रूपसिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी दूदाखीचड़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी दूदाखीचड़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरनिशान सिंह पुत्र स्वरूप सिंह जाति जटसिख निवासी दूदाखीचड़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. कुलदीप सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी दूदाखीचड़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. तहसीलदार (राजस्व) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 388 दिनांक 02.11.2007 ,
तहसील सादुलशहर बमुराद मन्सूखी आदेश इन्तकाल

उपस्थित :

1.श्री सुरेश अरोड़ा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.महेश दादरवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: आदेश ::

दिनांक :–04.12.2024

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता श्री दलीप सिंह पुत्र श्री मोदन सिंह जाति जटसिख निवासी दूदाखीचड़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के नाम से मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 कृषि भूमि वाके चक 15 एस.डी.एस. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 24/21 में 3.048 हैक्टर, खाता संख्या 40/39 में 1.884 हैक्टर, खाता संख्या 41/40 में 0.253 हैक्टर तथा अपीलाण्ट की माता श्रीमती बलदेव कौर पत्नी श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी दूदाखीचड़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के नाम से इसी चक 15 एसडीएस के खाता संख्या 24/21 में 5.047 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल थी। अपीलांट के पिता दलीप का दिनांक 08.08.1992 को व माता बलदेव कौर का सन् 2008 में देहान्त हो चुका है। अपीलांट के पिता ने अपने जीवनकाल में 2 शादीया की थी। प्रथम पत्नी से अपीलाण्ट के पिता स्व0 दलीप सिंह की 2 पुत्रियां थी तथा द्वितीय पत्नी बलदेव कौर से चार पुत्र व तीन पुत्रिया है। इस प्रकार अपीलाण्ट के पिता श्री दलीप सिंह के कुल 9 वारिस तथा अपीलाण्ट की माता श्रीमती बलदेव कौर के कुल 7 वारिस है। इस प्रकार अपीलाण्ट के पिता की उक्त वर्णित भूमि में उनके सभी वारिसान का 1/9–1/9 हिस्सा वा अपीलाण्ट की माता बलदेव कौर के नाम से दर्ज भूमि में उनके सभी वारिसान का 1/7–1/7 हिस्सा बनता है, मगर रेस्पोडेन्ट संख्या 1

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

व 2 ने राजस्व कर्मचारियों/अधिकारीयों से मिलीभगत करके उक्त कुल भूमि का इन्तकाल संख्या 388 दिनांक 02.11.2007 अपने नाम से खुलवाकर उक्त कुल भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज करवा लिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने विधि के प्रावधानों की परवाह न करते हुए अपने अनुचित लाभ के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के साथ सांठगांठ कर प्रश्नगत भूमि का इन्तकाल संख्या 388 दिनांक 02.11.2007 को बिना अधिकार के व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना तस्दीक कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है , जो निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है:–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफे कानून व रूहादादे मिसल है, जो कि काबिले निरस्ती है। नकल इन्तकाल सलंग्न है।
2. यह कि अपीलांट के पिता की मृत्यु के पश्चात अपीलांण्ट के 2 भाईयों रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने बिना किसी वैध दस्तावेज के व बिना किसी सक्षम अधिकारी के समुचित आदेश के, राजस्व अधिकारियों व कर्मचारीयों से मिलीभगत करके उक्त इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवा लिया है, जबकि अपीलाण्ट के पिता के नाम से दर्ज भूमि में उनके सभी वारिसान का 1/9–1/9 हिस्सा व अपीलाण्ट की माता के नाम से दर्ज भूमि में उनके सभी वारिसान का 1/7–1/7 हिस्सा बनता है, अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच पड़ताल किए और बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए एकतरफा तौर पर उक्त इन्तकाल स्वीकृत किया है, इसलिए उक्त आदेश/इन्तकाल बिना किसी सक्षम अधिकारी के समुचित आदेश के होने के कारण निरस्त होने योग्य है।
3. यह कि उक्त इन्तकाल संख्या 388 के खाना संख्या 14 में पटवारी हल्का द्वारा अंकन किया गया है कि "आदेश– कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर 3208 दिनांक 26.10.207 व रहनमुक्त 721/18.05.2007 व खाना संख्या 16 में पटवारी हल्का द्वारा लिखा गया है" श्रीमान जी मुताबिक आदेश इन्तकाल दर्ज कर पेश है" अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल की जानकारी होने पर अपीलाण्ट ने दिनांक 31.10.2019 को कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर से उसके कार्यालय आदेश क्रमांक 3208 दिनांक 26.10.2007 की प्रमाणित प्रति लेने के लिए आवेदन किया जिसके कार्यालय तहसीलदार सादुलशहर में क्रमांक 775 दिनांक 19.11.2019 पर दर्ज किया गया, मगर उक्त प्रार्थना पत्र की पुश्त पर भू0अ0 लिपिक द्वारा यह टिप्पणी की गई कि " श्रीमान जी, तहसील भू0अ0 शाखा का अवलोकन किया गया, क्रमांक 3208 दिनांक 26.10.2007 का आदेश इस शाखा से जारी नहीं हुआ। रिपोर्ट सादर प्रेषित है। इस पर तहसीलदार द्वारा आदेश दिया गया कि " अन्य सभी शाखाओं से रिपोर्ट ली जावें हल्का दिनांक 19.11.2019 इस पर राजस्व शाखा पंजीयन शाखा के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया मगर सभी शाखाओं द्वारा यह रिपोर्ट दी गई कि यह आदेश इस शाखा से जारी नहीं किया गया है, जिस पर तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन पत्र की पुश्त पर यह नोट अंकित करते हुए कि अन्य शाखाओं से चैक किया गया, जो क्रमांक 3208 दिनांक 26.10.2007 का आदेश जारी नहीं हुआ। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न अपील है, इससे यह स्पष्ट है कि उक्त इन्तकाल करने बाबत कोई आदेश तहसीलदार द्वारा जारी ही नहीं किया गया तथा बिना किसी आदेश तथा विधि में दिए गए प्रावधानों की

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अनदेखी करते हुए, मात्र अनुचित लाभ कमाने के आश्य से, अपीलांण्ट को बिना किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर प्रदान किए व बिना कब्जे की जांच किए, विवादस्पद भूमि का इन्तकाल अमल दरामद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में कर दिया , जो कि बिना अधिकार के होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

4. यह कि अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के उक्त धोखाधड़ीपूर्ण कृत्य के विरूद्व पुलिस थाना लालगढजाटान में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0111 दिनांक 07.07.2020 दर्ज करवा दी है जो कि जांचाधीन है जिसकी फोटो प्रति सलंग्न अपील है।

5. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उक्त इन्तकाल के आधार पर अब विवादग्रस्त भूमि को आगामी रहन, बैय व दीगर तरीके से मुन्तकिल करने पर उतारू है, यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उक्त रकबा को किसी अन्य को रहनबैय अथवा दीगर हस्तांतरण करने में कामयाब हो गए तो अपीलांण्ट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, इसलिए अपीलाण्ट ताफैसला अपील इस अमर की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 इन्तकाल संख्या 388 के आधार पर विवादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय या दीगर तरीके से हस्तातंरण करने से बाज व ममनू रहें।

6. यह कि अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल की प्रथम बार जानकारी दिनांक 30.10.2019 को पटवारी हल्का से हुई, जानकारी होने के बाद अपीलाण्ट द्वारा अपने स्तर पर जांच पड़ताल की गई, जिसमें काफी समय, व्यतीत हो गया, इसके पश्चात अपीलाण्ट उक्त कूटरचना के विरूद्व कार्यवाही करने में लगा रहा, इसलिए माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हो गया। अपीलांट ने जानबूझकर कोई देरी नहीं की है तथा जो देरी हुई है, वह कण्डोन योग्य है। वैसे भी विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी अनुचित एवं क्षेत्राधिकार से बाहर स्वीकृत इन्तकाल के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने में समयावधि बाधित नहीं हो सकती फिर भी कानूनी पेचिदिगियों से बचने के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सलंग्न अपील है।

अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवदन है कि अपील स्वीकार की जावें तथा इन्तकाल संख्या 388 दिनांक 02.11.2007 तहसीलदार सादुलशहर निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि :–

(क) अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह कि अपीलाण्ट द्वारा इन्तकाल संख्या 388 दिनांक 02.11.2007 की अपील दिनांक 11.08.2020 को लगभग 13 वर्ष के अन्तराल पर प्रस्तुत की गई है जो कि खारिज किये जाने योग्य है तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम गलत तथ्यों के आधारों पर प्रस्तुत किया गया है जिसका जवाब रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा अपीलांण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से कथन किये है कि अपीलाण्ट की अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 30.10.2019 को जानकारी हो चुकी थी जबकि (अपीलाधीन आदेश की जानकारी शुरू से ही है) जानकारी होने के बावजूद भी अपील नियत अवधि में न प्रस्तुत कर 1 वर्ष 1 माह के लम्बे अन्तराल के पश्चात् प्रस्तुत की

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

गई है, इसलिए अपील मियाद अवधि में प्रस्तुत नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में पुलिस कार्यवाही करने में लगा होने के तथ्य असत्य है। अपीलाण्ट द्वारा फौजदारी कार्यवाही दिनांक 07.07.2020 को करने के कथन अपील में अंकित किये गये है जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा 10 माह तक किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की कार्यवाही में व्यस्त नहीं था। केवल असत्य कथन किये गये है, जानबूझकर नियत अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं की गई है।

वास्तविकता यह है कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट की चक 12 एसडीएस व चक 15 एसडीएस दो चकों में कृषि भूमि थी, जिससे कि पक्षकारों द्वारा अपसी सहमति से रकबा का पारिवारिक बंटवारा करने बाबत तहसीलदार सादुलशहर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अपीलाण्ट रूप सिंह के हस्ताक्षर है तथा अपीलाण्ट द्वारा 100/– रूपये के स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र भी प्रस्तुत किया जिस पर भी रूप सिंह के हस्ताक्षर है तथा दोनों चकों की भूमि का अच्छी माड़ी के हिसाब से बंटवारा कर लिया जिसके अनुसार चक 12 एसडीएस के खाता की भूमि 1.265 हेक्टैयर भूमि अपीलाण्ट के हिस्सा में आई तथा शेष भूमि चक 15 एसडीएस रेस्पोडेन्ट के हिस्सा में आई और अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट की माता व बहनो ने अपना अपना हिस्सा अपने भाईयो के हक में छोड़ दिया गया। कार्यालय तहसीलदार द्वारा आपसी सहमति के आधार पर कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) के आदेश क्रमांक 7/रीडर/3208 से 3210 दिनांक 26.10.2007 जारी किया गया जिसकी पालना में अपीलाधीन इन्तकाल 388 दिनांक 02.11.2007 पारित किया गया है। इस प्रकार मूल आदेश क्रमांक 07/रीडर/3208 से 3210 दिनांक 26.10.2007 को अपीलाण्ट द्वारा स्वयं भाग लेकर आदेश पारित करवाये गये है जिसकी पालना में सहमति से इन्तकाल संख्या 388 दिनांक 02.11.2007 पारित किया गया है, इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा स्वयं भाग लेकर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया है। इसलिए अपीलाधीन आदेश की जानकारी शुरू से ही होने के तथ्य विद्यमान है।

यह कि यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मूल आदेश 3208–3210 से अपीलाण्ट को चक 12 एसडीएस का जो रकबा प्राप्त हुआ उसे स्वीकार व अंगीकृत करते हुए इसकी पालना में इन्तकाल करवाते हुए चक 12 एसडीएस का प्राप्त रकबा 1.265 हेक्टेयर को दिनांक 31.10.2007 को बेच भी दिया गया जिसकी बैयनामा की प्रति सलंग्न है तथा अपना हिस्सा बैय करने के बाद रेस्पोडेन्ट का हिस्सा हड़पने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है। इन तथ्यों के आधार पर पूर्णतया प्रमाणित है कि अपीलाधीन आदेश इन्तकाल की जानकारी शुरू से ही है जिसके कारण जानकारी में अपील अन्दर मियाद अवधि में प्रस्तुत नहीं होने के कारण दफा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज होने के अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

(ख) इन्तकाल संख्या 388 दिनांक 02.11.2007 बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के पारित करने के तथ्य असत्य व निराधार है।

यह कि अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में यह अभिकथन किया है कि इन्तकाल संख्या 388 बिना किसी आदेश के पारित किया गया है जो कि स्वीकार नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा स्वयं उपस्थित होकर मूल ओदश पारित करवाया है जिसका सम्पूर्ण विवरण पूर्व के चरणों में दिया जा चुका है जिसमें मूल आदेश भी रेस्पोडेन्ट द्वारा तहसील कार्यालय सादुलशहर से प्राप्त कर न्यायालय में पेश किया गया है।

अपीलान्ट द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 111 दिनांक 07.07.2020 को पुलिस थाना लालगढ़जाटान में दर्ज करवाई थी कि बिना किसी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना इन्तकाल संख्या 388 पारित करवाया है, कार्यवाही की जावें, जिस पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा गहन जांच करने पर यह पाया गया कि अपीलान्ट एवं उसके भाईयों एवं बहनो व माता की सहमति से ही तहसीलदार राजस्व सादुलशहर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53/2 के तहत उक्त चारों की आपसी सहमति के आधार पर खाता विभाजन किया था मगर अपीलाण्ट रूप सिंह को पूरी बात का पता होते हुए भी रूप सिंह द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर झूठा मुकदमा करवाया जिस पर जांच अधिकारी द्वारा एफ.आर. लगाई गई। इससे पूर्णतया स्पष्ट है कि मूल आदेश की पालना में ही इन्तकाल संख्या 388 पारित किया गया है। एफ.आर. की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न है जिससे स्पष्ट है कि मूल आदेश जारी होने के बाद ही इन्तकाल संख्या 388 पारित किया गया है यदि अपीलान्ट द्वारा लिपिक से मिलीभगत करते हुए आदेश नहीं होने के तथ्य अंकित करवाये है तो इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि मूल आदेश जारी हुए है जिसकी कॉपी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील में प्रस्तुत की गई है, फौजदारी कार्यवाही में जांच अधिकारी द्वारा तहसीलदार से मूल आदेश की सूचना के अधिकार के तहत प्रति प्राप्त कर ही जांच की गई है। इसलिए इससे पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि मूल आदेश कमांक 3208–3210 जारी हुआ होने के कारण ही इन्तकाल संख्या 388 पारित किया गया।

(ग) मूल आदेश कमांक 3208 से 3210 को चुनौती न देकर सीधे ही उसकी पालना में इन्तकाल संख्या 388 को चुनौती देने वाली अपील संधारण योग्य नहीं है।

यह कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील की पोषणीयता के सम्बन्ध में यह आपत्ति की गई है कि मूल आदेश कमांक 3208–3210 के विरूद्व अपील ना प्रस्तुत कर सीधा इन्तकाल 388 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने के कारण अपील ही संधारण योग्य नहीं है तथा इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

(घ) यह कि अपीलान्ट वास्तविक तथ्यों को छुपाकर असत्य तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है इसलिए अपीलान्ट स्वच्छ हाथो (क्लीन हैन्ड) से न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए इस आधार पर अपीलान्ट कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा निम्न नजीर पेश की गई :–

1. 2023 (2) आर.आर.टी. 1300

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 53(2)(1)–सहमति के आधार पर भूमि का बंटवारा–तहसीलदार ने भूमि के बंटवारा का आदेश पारित किया– अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने आदेश के विरूद्व अपील पेश की–अपील पेश करने में 9 वर्ष की भारी देरी– आलोच्य आदेश पक्षकारों की सहमति के आधार पर पारित किया और दो गवाहान ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये– सहमति के आदेश पक्षकारों पर बन्धनकारी था–निर्णीत, आदेश अपास्त किया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के बिन्दुओं को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के पिता श्री दलीप सिंह पुत्र श्री मोदन सिंह जाति जटसिख निवासी दूदाखीचड़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के नाम से मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 कृषि भूमि वाके चक 15 एस.डी.एस. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 24/21 में 3.048 हैक्टर, खाता संख्या 40/39 में

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

1.884 हैक्टर, खाता संख्या 41/40 में 0.253 हैक्टर तथा अपीलाण्ट की माता श्रीमती बलदेव कौर पत्नी श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी दूदाखीचड़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के नाम से इसी चक 15 एसडीएस के खाता संख्या 24/21 में 5.047 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल थी। अपीलांट के पिता दलीप का दिनांक 08.08.1992 को व माता बलदेव कौर का सन् 2008 में देहान्त हो चुका है। अपीलांट के पिता ने अपने जीवनकाल में 2 शादीया की थी। प्रथम पत्नी से अपीलाण्ट के पिता स्व0 दलीप सिंह की 2 पुत्रियां थी तथा द्वितीय पत्नी बलदेव कौर से चार पुत्र व तीन पुत्रिया है। इस प्रकार अपीलाण्ट के पिता श्री दलीप सिंह के कुल 9 वारिस तथा अपीलाण्ट की माता श्रीमती बलदेव कौर के कुल 7 वारिस हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट के पिता की उक्त वर्णित भूमि में उनके सभी वारिसान का 1/9–1/9 हिस्सा वा अपीलाण्ट की माता बलदेव कौर के नाम से दर्ज भूमि में उनके सभी वारिसान का 1/7–1/7 हिस्सा बनता है, मगर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत करके उक्त कुल भूमि का इन्तकाल संख्या 388 दिनांक 02.11.2007 अपने नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज करवा लिया गया। इन्तकाल संख्या 388 के खाना संख्या 14 में पटवारी हल्का द्वारा अंकन किया गया है कि ''आदेश– कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर 3208 दिनांक 26.10.207 व रहनमुक्त 721/18.05.2007 व खाना संख्या 16 में पटवारी हल्का द्वारा लिखा गया है'' श्रीमान जी मुताबिक आदेश इन्तकाल दर्ज कर पेश है'' अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल की जानकारी होने पर अपीलाण्ट ने दिनांक 31.10.2019 को कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर से उसके कार्यालय आदेश क्रमांक 3208 दिनांक 26.10.2007 की प्रमाणित प्रति लेने के लिए आवेदन किया जिसके कार्यालय तहसीलदार सादुलशहर में क्रमांक 775 दिनांक 19.11.2019 पर दर्ज किया गया, मगर उक्त प्रार्थना पत्र की पुश्त पर भू0अ0 लिपिक द्वारा यह टिप्पणी की गई कि '' श्रीमान जी, तहसील भू0अ0 शाखा का अवलोकन किया गया, क्रमांक 3208 दिनांक 26.10.2007 का आदेश इस शाखा से जारी नहीं हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त इन्तकाल करने बाबत कोई आदेश तहसीलदार द्वारा जारी ही नहीं किया गया तथा बिना किसी आदेश तथा विधि में दिए गए प्रावधानों की अनदेखी करते हुए, मात्र अनुचित लाभ कमाने के आश्य से, अपीलांण्ट को बिना किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर प्रदान किए व बिना कब्जे की जांच किए, विवादस्पद भूमि का इन्तकाल अमल दरामद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में कर दिया , जो कि बिना अधिकार के होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय इन्तकाल संख्या 388 दिनांक 02.11.2007 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष को मियाद के बिन्दु पर सुना गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का यह कथन कि अपीलाण्ट द्वारा इन्तकाल संख्या 388 दिनांक 02.11.2007 की अपील दिनांक 11.08.2020 को लगभग 13 वर्ष के अन्तराल पर प्रस्तुत की गई एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में दिया गया कारण अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 30.10.2019 को हुई गलत ब्यानी है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश क्रमांक 3208–3210 दिनांक 26.10.2007 के सम्बन्ध में तहसीलदार सादुलशहर से सूचना के अधिकार के तहत कापी चाही गई जिस पर तहसील कार्यालय सादुलशहर से तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 24.12.2019 को मेरा प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि आदेश क्रमांक 3208–3210 तहसील कार्यालय की समस्त शाखाओं से जारी नहीं हुआ। जिस

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

मेरे द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना, लालगढजाटान में एफ.आई.आर. नम्बर 0111 दिनांक 07.07.2020 दर्ज करवाई गई।

हस्तगत अपील प्रकरण में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील 1 वर्ष 1 माह देरी होना बताया है जबकि अपीलांट द्वारा 30.10.2019 को सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना बाबत आदेश 3208–3210 दिनांक 26.10.2007 की कापी चाही गई। जिस अपीलांट का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2019 को खारिज कर दिया गया कि उक्त आदेश तहसील कार्यालय से जारी नहीं हुआ है जिस पर अपीलांट द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना लालगढजान में एफ.आई.आर. संख्या 0111 दिनांक 07.07.2020 दर्ज करवाई गई, दौराने जांच अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 3208–3210 दिनांक 26.10.2007 की पालना में दर्ज इन्तकाल के विरूद्व अपील दिनांक 11.08.2020 को प्रस्तुत की गई, क्योंकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 3208–3210 की प्रति अपीलांट को प्राप्त नहीं हुई। अतः अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने देरी का जो कारण दिया है, वह स्वीकार योग्य नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर का इन्तकाल संख्या 388 दिनांक 02.11.2007 जो आदेश दिनांक 3208–3210 दिनांक 26.10.2007 की पालना में सहमति बंटवारे के आधार पर दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर द्वारा सहमति बंटवारा को देखने से यह प्रथमदृष्टया पाया जाता है कि अपीलांट की माता व बहनों के ब्यानों को लिया गया जिसमें उनके द्वारा अपने ब्यानों स्पष्ट तौर पर कथन किया गया है कि हम अपना हक व हिस्सा अपनी स्वतन्त्र सहमति से बिना किसी दबाव के अपने चारों भाईयों को छोड़ रही है। परन्तु बंटवारा आदेश क्रमांक 3208–3210 दिनांक 26.10.2007 को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर द्वारा चारों को बराबर न देकर लक्ष्मण सिंह–स्वरूप सिंह पिसरान दलीप सिंह में ही समस्त भूमि का बंटवारा कर दिया गया हो, जबकि सहमति के बंटवारा में जिस–जिस का जितना हिस्सा बनता है उसी अनुसार ही सहमति का बंटवारा होना चाहिए जबकि उक्त बंटवारा में ऐसा प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार सादुलशहर द्वारा पारित आदेश क्रमांक क्रमांक 3208–3210 दिनांक 26.10.2007 की पालना में सहमति बंटवारे के आधार पर दर्ज इन्तकाल संख्या 388 दिनांक 02.11.2007 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विधिवत् सुनवाई की जाकर पुनः आदेश पारित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 09.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * श्रीगंगानगर (राज.) *

(रीना)
अति. जिला कलक्टर (प्रशा०)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर